



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062022-236400
CG-DL-E-08062022-236400

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 288]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 8, 2022/ज्येष्ठ 18, 1944

No. 288]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 8, 2022/JYAISTHA 18, 1944

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2022

सं.: वी-33013/1/2021- स्था.-IV.—क.रा.बी. (साधारण) विनियमावली, 1950 के विनियम 10 के साथ पठित क.रा.बी. अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के अनुसरण में, अध्यक्ष, क.रा.बी. निगम एतद्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के लिए क्षेत्रीय बोर्ड का पुर्नगठन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, नामतः -

क्र.सं.	प्रतिनिधि का नाम	पदनाम	विनियम के अधीन
1.	राज्य मंत्री (प्रभारी), श्रम विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार	अध्यक्ष	विनियम 10(1)(क)
2.	पश्चिम बंगाल सरकार के प्रधान सचिव, श्रम विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार	उपाध्यक्ष	विनियम 10(1)(ख)
3.	पश्चिम बंगाल सरकार के संयुक्त सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार, वित्त विभाग, नवन्ना, हावड़ा	सदस्य	विनियम 10(1)(ग)
4.	निदेशक, क.रा.बी.(एमबी) योजना, पश्चिम बंगाल सरकार	पश्चिम बंगाल राज्य में सीधे तौर पर क.रा.बी.योजना के प्रभारी अधिकारी पदेन सदस्य	विनियम 10(1)(घ)(i)
5.	राज्य चिकित्सा अधिकारी, क.रा.बी.निगम, क्षेत्रीय कार्यालय,	पदेन सदस्य	विनियम

	कोलकाता		10(1)(घ)(ii)
6.	नदीम काज़िम, निदेशक, एच.आर. एंड पर्सनल, एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, "एक्साइड हाउस" एस9ई, चौरंगी रोड, कोलकाता-700020 (सी.आई.आई., पूर्वी क्षेत्र)	नियोक्ताओं के प्रतिनिधि	विनियम 10(1)(ङ)
7.	श्री एन.के. चटर्जी, सलाहकार, मानव संसाधन एवं आई.आर., इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स, 4, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता-700001 (आई.सी.सी.)	नियोक्ताओं के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनियम 10(1) का परंतुक
8.	श्री सरोज कुमार साहू, राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य, लघु उद्योग भारती, मॉडल हाउस, 40, स्टैंड रोड, 5वीं मंजिल, कमरा नंबर 529, कोलकाता-700001, पश्चिम बंगाल	नियोक्ताओं के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनियम 10(1) का परंतुक
9.	श्री श्रीमोय बनर्जी, अध्यक्ष, श्रम स्थायी समिति, निदेशक, मेसर्स श्रीपति होजरी मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, 12, ग्रांट लेन, कोलकाता-700012 (बंगाल नेशन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री)	नियोक्ताओं के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनियम 10(1) का परंतुक
10.	श्री ऋताव्रत बंदोपाध्याय, 86, रामलाल बाजार किसानलय स्कूल लेन, हल्द्वी, कोलकाता-700078 (आई.एन.टी.टी.यू.सी.)	कर्मचारियों के प्रतिनिधि	विनियम 10(1)(ङ)
11.	श्री बी.के. चक्रवर्ती, आरए-48, शहीद सुकुमार बनर्जी सारणी, दुर्गापुर-713213, जिला- बर्दवान (सी.आई.टी.यू)	कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनियम 10(1) का परंतुक
12.	श्री उज्ज्वल मुखर्जी, महासचिव, राज्य बीएमएस, पश्चिम बंगाल	कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनियम 10(1) का परंतुक
13.	श्री अमेल सेन, ए.आई.यू.टी.यू.सी. कार्यालय, 77/2/1, लेनिन सारणी, कोलकाता-700013 (ए.आई.यू.टी.यू.सी.)	कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनियम 10(1) का परंतुक
14.	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पदाधिकारियों के अतिरिक्त राज्य में रहने वाले निगम के सदस्यों, यदि कोई हो जिन्हें अधिनियम की धारा 4 के खंड (ग) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किया गया हो	पदेन	विनियम 10(1)(च)
15.	क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	सदस्य सचिव	विनियम 10(3)

[विज्ञापन III/4/असा./108/2022-23]

एस. रविचंद्रन, बीमा आयुक्त

EMPLOYEE'S STATE INSURANCE CORPORATION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st May, 2022

No. V-33013/1/2021- E-IV.—In pursuance of Section 25 of the ESI Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of ESI (General) Regulation, 1950, the Chairman, ESI Corporation hereby re-constitutes the Regional Board for West Bengal State, which shall consist of the following members, namely: -

S.No.	Name of Representative	Designation	Under Regulation
1.	Minister of State (I.C.), Labour Department, Government of West Bengal	Chairman	Reg. 10(1)(a)
2.	Principal Secretary to the Government of West Bengal, Labour Department, Government of West Bengal	Vice-Chairman	Reg. 10(1)(b)
3.	Joint Secretary to the Government of West Bengal, Finance Department, Nabanna, Howrah	Member	Reg. 10(1)(c)

4.	Director, E.S.I. (MB) Scheme, Government of West Bengal	Officer directly in-charge of ESI Scheme in the State of West Bengal Ex-Officio Member	Reg. 10(1)(d)(i)
5.	State Medical Officer, ESI Corporation, Regional Office, Kolkata	Ex-Officio Member	Reg. 10(1)(d)(ii)
6.	Nadeem Kazim, Director, H.R. & Personnel, Exide Industries Ltd., “Exide House” S9E, Chowringhee Road, Kolkata 700020 (C.I.I., Eastern Region)	Employers’ Representative	Reg. 10(1)(e)
7.	Sh. N.K. Chatterjee, Advisor, H.R. & I.R. Indian Chamber of Commerce, 4, India Exchange Place, Kolkata-700001 (I.C.C.)	Employers’ Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
8.	Sh. Saroj Kumar Sahoo, National Executive Member, Laghu Udyog Bharati, Model House, 40, Strand Road, 5th Floor, Room No. 529, Kolkata-700001, West Bengal	Employers’ Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
9.	Sh. Sreemoy Banerjee, Chairman, Labour Standing Committee, Director of M/s. Sreepati Hosiery Mills Pvt. Ltd., 12, Grant Lane, Kolkata-700012 (Bengal Nation Chamber of Commerce & Industry)	Employers’ Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
10.	Sh. Ritabrata Bandopadhyay 86, Ramlal Bazar Kisalaya School Lane, Haltu, Kolkata-700078 (INTTUC)	Employees’ Representative	Reg. 10(1)(e)
11.	Sh. B.K. Chakraborty, RA-48, Saheed Sukumar Banerjee Sarani, Durgapur-713213, Dist. Burdwan (CITU)	Employees’ Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
12.	Sh. Ujjwal Mukherjee, General Secretary, State BMS, West Bengal	Employees’ Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
13.	Sh. Amel Sen, AIUTUC Office, 77/2/1, Lenin Sarani, Kolkata-700013 (AIUTUC)	Employees’ Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
14.	Members of the Corporation other than the Chairman and the vice Chairman and officials, if any, amongst those nominated by the Central Govt. under clause (c) of Section 4 of the Act, residing in the state.	Ex-Officio	Reg. 10(1)(f)
15.	Regional Director, Employees State Insurance Corporation, Kolkata, West Bengal	Member Secretary	Regulation 10(3)

[ADVT.-III/4/Exty./108/2022-23]

S. RAVICHANDRAN, Insurance Commissioner.